that, I am writing here, I am meeting this person". We would like to know what has happened since this Government has been in power. People on the right have been rightly concerned. In India, of course, the major problem is employment. The steel sector is a major employer. And most steel companies, whether they are in the private sector or in the public sector, are retrenching people. They are losing money. In fact, one of the Nav Ratnas, the SAIL, is expected to lose over Rs. 1000 Crores this year. All we are hearing in answers to question is-"I am meeting this Minister, I am meeting that Minister, I have written this letter". What we would like to know is what happened. The industry is losing. People are losing jobs and even countries like America and other in Europe have already imposed anti-dumping tariffs. This Government is only writing letters and meeting Ministers! We would like to have specific answers, Sir.

SHRI NAVEEN PATNAIK: In answer to that question, in particular regarding the SAIL, the SAIL is taking various measures to improve the situation. *(Interruptions).*

DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Nothing taken. *(Interruptions).* We want a half-an-hour discussion. *(Interruptions).*

SHRI JIBON ROY: You are reducing customs, increasing excise also. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

## WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

**श्रमिकों की भागीदारी तथा मजदूरी हेतु मानदण्ड**

***1. श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योग के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी तथा मजदूरी नियत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में उत्पादन तथा उत्पादकता को शामिल करने का विचार रखती है;

(ख) क्या फिल्म उद्योग को भी इस दायरे के अन्तर्गत लाने का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (घ) प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी योजना जो इस समय विद्यमान है, दिसम्बर 1983 में तैयार और अधिसूचित की गई थी। यह योजना विशेष रूप से छूट प्राप्त उद्यमों के अलावा, सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू है। इसमें कार्यशाला (शॉप) और संयंत्र (प्लान्ट) स्तरों पर द्विपक्षीय मंच के गठन की संकल्पना है। उपयुक्त समझे गए उद्यमों में, इसे बोर्ड स्तर पर भी लागू किया जाना था। इस योजना में उत्पादन, गुणवत्ता, लक्ष्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याण उपाय, पर्यावरणीय मुद्दों, गैर-हाजिरी उद्यमों के वित्तीय निष्पादन आदि से संबंधित कतिपय कार्य-सम्बद्ध मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श की व्यवस्था है।

राज्य सरकारों से प्रबन्धन में कर्मचारियों की सहभागिता योजना, 1983 अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लागू करने का अनुरोध किया गया था। चलचित्र उद्योग सहित निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी इस योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सम्बन्धी समय-समय पर क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं और इस संबंध में प्राप्त अनुभवों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की समीक्षा करने और प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता को अधिक कारगर तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने का निर्णय लिया है। अत: प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी विधेयक तैयार किया गया और उपक्रमों, प्रतिष्ठानों अथवा किसी उद्योग से संबद्ध अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता के लिए और सम्बन्धित मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों से संबंधित सामग्री मुहैया कराने के लिए राज्य सभा में 30 मई, 1990 को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया है।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक समान मजदूरी नीति नहीं है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण वार्ता और समझौतों के माध्यम से किया जाता है। के.सा. क्षे.ठ. के मामले में, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय मजदूरी में संशोधन के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है और वार्ताओं की अनुमति देता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने पांचवें दौर की वार्ता और नए मजदूरी समझौते के लिए अनुमति प्रदान की है जिसके अन्तर्गत प्रबंधन अलग-अलग उद्यम/एकक द्वारा स्त्रोतों/लाभों के अनुरूप मजदूरी के स्वरूप पर विचार

करने के लिए स्वतंत्र है और बशर्ते कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत में कोई वृद्धि न हो।

असंगठित क्षेत्र में, मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया जाता है। चूंकि न्यूनतम मजदूरी केवल जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में मानी जाती है, अतः उत्पादकता के साथ मजदूरी को सम्बद्ध करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। खुदरा दर मजदूरी के निर्धारण को मजदूरी उत्पादकता के साथ जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, शुरू में उस नियोजन में ऐसी प्रणाली की संभाव्यता और स्वीकार्यता के आधार पर किया जाता है।

चलचित्र कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और संबंधित राज्य सरकारें अपने राज्यों में इन कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती हैं।

**Setting up of a manpower Export Promotion Council**

*4. SHRI ANANTRAY DEVSHANKAR DAVE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a Central Manpower Export Promotion Council and the constitution of a welfare fund for the welfare of the Indian emigrants workers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when this will be set up and start functioning?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) A proposal to set up a Central Manpower Export Promotion Council to render promotional and advisory services and for constitution ot a Welfare Fund for the emigrant workers is under consideration of the Government. As the matter involves inter-ministerial consultations which are already on, it is difficult to indicate any specific time schedule for setting up of the proposed Council and constitution of the proposed Welfare Fund.

**Legislation for Agricultural Workers**

*6. SHRI N.R. DASARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have given up the proposal for enacting a Central legislation to protect the interests of the agricultural labourers in the country; and

(b) if not, at what stage the proposal is?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.

(b) The proposal is in the stage of consultation with various Ministries/ Departments.

**Export/Import of Food Items**

*7. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleaed to state:

(a) the total quantity of onion, potato, vegetables, fruit, oil seeds, pulses, wheat, rice etc. which Government exported from India during the last three year year-wise, quantity-wise and country-wise indicating value thereof;

Qty: MT

Value: Rs. crores

| Item | 1995-96 | | 1996-97 | | 1997-98 (Prov.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qty | Value | Qty | Value | Qty | Value |
| Onion | 350989 | 230.72 | 42012 | 265.21 | 332769 | 202.45 |
| Potato | 34516 | 18.90 | 24936 | 17.16 | 2228 | 8.95 |
| Vegetables | NA | 126.84 | NA | 127.64 | NA | 177.65 |
| Fruits, fresh | NA | 229.74 | NA | 244.40 | NA | 270.52 |
| Oilseedss | 86540 | 526.19 | 298638 | 660.80 | 417921 | 929.08 |
| Pulses | 61359 | 131.81 | 55153 | 131.58 | 166579 | 358.62 |
| Wheat Rice | 632468 | 366.76 | 1145896 | 698.45 | 1561 | 0.42 |
| Basmatirice | 3773314.0 | 850.67 | 523128 | 1247.64 | 591483 | 1687.03 |
| Non-basmati rice | 4540697 | 3717.41 | 1988853 | 1924.72 | 1631667 | 1550.60 |

Source: DGC I&S, Calcutta)